

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

क० 9/नर्सिंग/सेल-1/2015

भोपाल दिनांक /05/2015

आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के आदेश क. 9/नर्सिंग/सेल 1/206, दिनांक 20.2.15 एवं आदेश क. 9/नर्सिंग/सेल 1/345, दिनांक 18.3.15 के द्वारा नर्सिंग सिस्टर के पद से मेट्रन के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि पदोन्नत होने वाले कर्मचारी पदोन्नति स्थल पर 15 दिवस के अंदर अपनी उपस्थिति देवें। उपस्थित न होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

मेट्रन के पद पर पदोन्नति आदेश के विरुद्ध कुछ आवेदन पत्र संचालनालय स्तर पर संशोधन हेतु प्राप्त हुये हैं। जिनका परीक्षण किया गया। मेट्रन के रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये ही कर्मचारियों को पदोन्नत कर रिक्तता वाले जिले में पदोन्नत कर पदस्थ किया गया है। वर्तमान में कोई आदेश संशोधन नहीं किया जाना है। अतः जिन कर्मचारियों द्वारा संशोधन हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं उन्हें अमान्य करते हुये संचालनालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वे कर्मचारी पदोन्नत स्थल पर 7 दिवस के अंदर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देवें। अन्यथा आपके स्थान पर कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत कर पदस्थ किया जावेगा। एवं शासन के आदेशानुसार आपको पदोन्नति/वरिष्ठता से भी वंचित किया जावेगा।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)

संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश।

पृ.क./9/नर्सिंग/सेल 1/2015/673  
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 3/5/2015

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मेट्रन के पद पर पदोन्नत होने वाले कर्मचारी जिनका समय अवधि 15 दिवस समाप्त हो चुकी है। यदि वे अपनी उपस्थिति पदोन्नति स्थल पर देते हैं तो उन्हें निर्धारित समयसीमा आदेश जारी होने के 7 दिवस के अंदर उपस्थिति मान्य की जावें।
4. श्री पी.सी. थामस प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त जानकारी विभाग की वेबसाईड पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश।